

११५

0-2
12
13/3

राजस्थान-सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप - 2)

क्रमांक: प.1(1)/चि. स्वा./2/2020/

दिनांक: 12.03.2020

:- आदेश :-

कोरोना वायरस (Covid 19) की रोकथाम एवं नियंत्रण में अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण डॉ. सन्जु मीणा, चिकित्सा अधिकारी (दंत), एनएचएम के विरुद्ध जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से निलंबित किया जाता है।

निलम्बन काल में डॉ. सन्जु मीणा का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के कार्यालय में रहेगा। निलम्बन काल में डॉ. सन्जु मीणा को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करावें।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि अविलम्ब भिजवाये।
6. निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, जन स्वास्थ्य।
10. कम्प्यूटर सेल।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित को ई-मेल करावें एवं विभाग की वेबसाइट पर आज ही अपलोड करावें।



शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- सीबी/सीएस/एस-774/2020/178

दिनांक : 12/3/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर को उनके आदेश क्रमांक पं. 1(1)चिस्वा/2/2020 दिनांक 12.03.2020 के क्रम में।
2. निदेशक (आरसीएच) मुख्यालय।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
4. परियोजना निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि डॉ० संजू मीणा, चि0अ0 (दन्त) को निलम्बित काल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।
7. डॉ० संजू मीणा, चि0अ0 (दन्त) हाल निलम्बित को पालनार्थ।
8. अति० प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, एस-सीट/एटीसी, मुख्यालय।
9. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पृष्ठांकित आदेश को विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।